Serial No. 7708 Deed No. 7572

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **28/06/2016** by **Arjun Singh**
A stamp duty of Rs. **400400**/- and other fees of Rs. **20400**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **7572** in Book No. **1**, Volume No. **163** on pages from **67** to **82** and has been preserved in total **16** pages in C.D. No. **25** / Year **2016**

28/6/2016
Signature with Date
(**Dhananjay kumar Rao**)
Registering Officer, **Danapur**

Date: 28/06/2016 Token No: 7997 /2016

7997/16

52
28/6

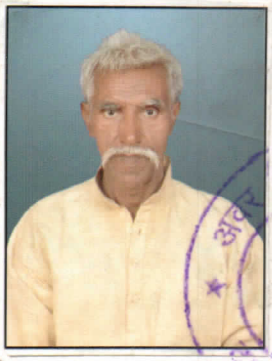
31 जून सिंह
दि: 28-6-2016

उन्नयन मनोबन्ध
Development Agreement

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक को

श्री अर्जून सिंह पिता का नाम स्व0 सत्य नारायण सिंह, निवास स्थान– लखनी बिगहा, थाना– दानापुर, पोस्ट– खगौल, जिला– पटना, भारतीय नागरिक, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नामसे सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनकेउत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें **प्रथम पक्ष** कहा गया है।

31 जून सिंह



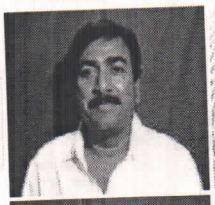
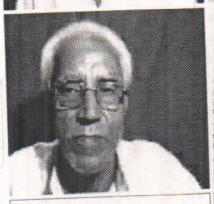
अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

Rajiv Kumar 28/6/16

6/28/201

Sub District Registry Office,Danapur

Token Number 7997 | Reg. Year 2016 | Serial Number 7708 | Deed Number 7572

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	rajesh Kumar						
Sig.	Rajesh Kumar 28/6/16						
Presented By	Arjun Singh						
Sig.	अर्जुन सिंह 28-6-2016						
Executant	Arjun Singh	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little
Sig.	अर्जुन सिंह 28-6-2016						
Identified By	Rajeev Ranjan						
Sig.	राजीव रंजन पिता - श्री अर्जुन कुमार 28/6/16						

SCORE Ver.4.0 | Powered by InfoSystem and Solutions,Patna | Biometric Captured By 2802sop011

6/28/201

एवं

"आर0 आर0 बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स (R.R Builders & Developers) एक भवन निर्माण कम्पनी जो भारतीय कम्पनी एक्ट 1956 ई0 के अन्तर्गत निबंधित है तथा पार्टनरशीप एक्ट के अर्न्तगत स्थापित एवं निबंधित है जिसका निबंधन कार्यालय 122ए, आशियाना नगर फेज नं0– 1, पटना द्वारा पार्टनर **श्री राजेश कुमार** पिता श्री जय प्रकाश नारायण सिंह निवासी 122ए, आशियाना नगर, फेज– 1, जिला– पटना– 25, जिन्हें आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/उन्नयनकर्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित हैं, के बीच सम्पादित हुआ।

यह कि जमीन मालिक मौजा– **लखनी बिगहा**, सर्वे थाना दानापुर, अवर निबंध्न कार्यालय, दानापुर, जिला– पटना, अन्दर थाना नं0 41, तौजी नं0 5225, खाता नं0 73 वो 149 (तीहत्तर वो एक सौ उनचास), खेसरा नं0 1379 वो 1381 वो 1375 वो 1373 (एक हजार तीन सौ उनासी वो एक हजार तीन सौ एकासी वो एक हजार तीन सौ पचहत्तर वो एक हजार तीन सौ तीहत्तर) का सम्पूर्ण एवं अंश भाग, रकवा 77 डीसमल, जिसका प्रचलित आवासीय बाजार मूल्य मो0 2,00,20,000/– (दो करोड़ बीस हजार हजार) रूपये है पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिर्पूक दखल–कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची– 1 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि वर्णित सम्पति जमीन मालिक की खतियानी वो खानदानी मौरूसी सम्पति है। जिसे जमीन मालिक ने अपने पूर्वजों के स्वर्गवास के बाद अपने गोतिया पट्टीदार से आपसी खानगी बंटवारा कर अनुसूचि– 1 में वर्णित सम्पति खास हक वो हिस्सा में प्राप्त किया है और बंटवारा के रोज से ही जमीन मालिक अनुसूचि– 1 में वर्णित सम्पति को अपने कब्जा दखल वो अधिकार में रखकर हर प्रकार से उपयोग वो उपभोग करते चले आ रहे हैं वो हैं और जमीन मालिक के नाम से बिहार सरकार का जमिंदारी रसीद जमाबंदी नं0 1095 के द्वारा जमिंदारी रसीद कटते चला आ रहा है।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची– 1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक–साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा–खर्चा तथा क्षति–पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा। विकासक ने जमीन मालिक के कागजात को देख कर पढ़ कर एवं जाँच करवा कर समझ लिये हैं वो सभी कागजात सही पाया।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची– 1 में वर्णित जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तो एवं बंधणों पर किया जायः–

1. यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त अपने भूखंड को बहुमंजिली भवन निर्माण करने के लिए देंगे।

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

2. यह कि बहुमंजिली भवन निर्माण से संबंधित सारा खर्चा द्वितीय पक्ष को बहन करना होगा तथा भवन निर्माण से संबंधित कोई भी खर्च आरंभ से अंत तक प्रथम पक्ष को नहीं देना है।

3. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह तय किया गया कि पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधिन हिस्से में जमीन मालिक का **50** प्रतिशत एवं भवन निर्माता का **50** प्रतिशत परम निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट एवं जमीन का औसतन हिस्सा इत्यादि में होगा और जमीन मालिक के हिस्सा का निर्माण इस विलेख के विशिष्टताओं (Specification) के अनुसार ही होगा।

4. यह कि प्रथम पक्ष के हिस्से **50** प्रतिशत पर द्वितीय पक्ष का कोई अधिकार या दावा नहीं होगा तथा इसी प्रकार से द्वितीय पक्ष के **50** प्रतिशत हिस्से पर प्रथम पक्ष का कोई अधिकार या दावा नहीं रहेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को अपने हिस्से के क्षेत्र का किराया/बिक्री से संबंधित विज्ञापन एवं स्थल पर साईन बोर्ड लगाने का अधिकार होगा।

6. यह कि प्रस्तावित भवन निर्माता द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा जमीन का एग्रीमेंट की तिथि से **5 वर्ष (पॉच वर्ष)** के अन्दर पूर्ण करना है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण किए गए निर्मित भवन से प्रथम पक्ष को उनके हिस्से का भवनक्षेत्र दखल में दे देना है। भवन निर्माण की अवधि ज्यादा से ज्यादा **6 माह (छः माह)** के लिए बढ़ाया जाएगा। उपरोक्त अवधि के दरम्यान किसी तरह की प्राकृतिक आपदा या ऐसी स्थिति जो बिल्डर (विकासक) के नियंत्रण से बाहर हो, के कारण यदि कार्य बाधित होता हो तो वैसी स्थित में उपरोक्त अवधि अधीकतम **3** माह के लिए बढ़ाया जायेगा और जमीन मालिक के हिस्से में पड़ने वाले सभी फ्लैट को पूरी तरह से तैयार करके सुपुर्द कर देंगे।

7. यह कि प्रथम पक्ष को अपना भवन क्षेत्र का हिस्सा तय समय सीमा 5 वर्ष 6 माह के अन्दर पूर्ण करके नहीं मिलता है तो द्वितीय पक्ष भवन निर्माता प्रथम पक्ष जमीन मालिक को उनके हिस्से के मुताबिक प्रति फ्लैट मो0 5,000/– (पॉच हजार रूपया) प्रति माह के हिसाब से भुगतान करेंगे।

8. यह कि द्वितीय पक्ष को **पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/खगौल नगर परिषद** द्वारा भवन का प्रस्तावित नक्शा अनुमोदित कराने तथा इसमें जो भी खर्च होगाउसे द्वितीय पक्ष वहन करेंगे तथा इसमें प्रथम पक्ष कोई खर्च वहन नहीं करेंगे।

9. यह कि देनों पक्षों के बीच यह भी तय हुआ है कि इस निबंधित एकरारनामा के शर्त एवं स्थिति को पूर्ण समझदारी के साथ समझ लेने के बाद भविष्य में दोनों पक्षों के संबंध कुशल रहेंगे। जहॉ तक द्वितीय पक्ष का सवाल है, वह प्रथम पक्ष के स्वामित्व के कागजात से पूर्ण सहमत होकर इस एकरारनामा को निष्पादित करते हैं।

10. यह कि विकासक द्वितीय पक्ष ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

सामान बिना मिलावट के और दीर्घ गुणवत्ता वाले लगाये जायेंगे। यदि भवन निर्माण में भवन से संबंधित सामग्री खराब या कम गुणवत्ता का होगा तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि संबंधित सामग्री का जॉच करवाकर पुनः भवन का निर्माण द्वितीय पक्ष से करवायेंगे। इसमें विकासक को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा।

11. यह कि इस एग्रीमेंट/एकरारनामा पर दोनों पक्षों के दस्तखत के पहले का कोई भी आश्वासन पत्र/एग्रीमेंट दोनों पक्षों का होगा तो इस एग्रीमेंट/एकरारनामा के समक्ष अमान्य (खारीज) समझा जाएगा।

12. विकासक उक्त जमीन का उन्नयन **संचार नगर** के नाम से करेंगे और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सारा निर्मित इमारत का नाम **संचार नगर** अपार्टमेंट होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवलर द्वारा वहन किया जायेगा तथा केवल डेवलपर ही सरकार **पी0एम0सी0/खगौल नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार** एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जबाबदेह होंगे।

13. भवन निर्माता केवल अपने हिस्से के **50** प्रतिशत का बंधक रखकर लोन ले सकेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का **50** प्रतिशत परम निर्मित क्षेत्र सम्मिलित नहीं होगा।

14. यह कि यथा वर्णित जमीन मालिक का क्षेत्र पर जमीन मालिक को **50** प्रतिशत परम निर्मित क्षेत्र का अधिकार होगा। जिसका निर्धारण और स्पष्टिकरण इमारत निर्माण हेतु प्रस्तावित नक्शा पारित होने के बाद किया जायेगा। जमीन मालिक के हिस्से में मिलने वाली फ्लैटों एवं पार्किंग स्थान के क्षत्र का निर्धारण आपसी मेल जोल से होगा तथा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात सिढ़ी घर, रास्ता, पम्पघर, जेनरेटर घर, वाहन क्षेत्र लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, खुला जगह, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और भवन निर्माता के द्वारा सामुहिक रूप से उपयोग की जायेगी। साथ ही साथ दोनों पक्षों के बीच यह शर्त निर्धारित है कि वर्तमान में पारित नक्शे के अलावा यदि भविष्य में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त निर्माण की स्वीकृति मिलती है या द्वितीय पक्ष अन्य किसी तरीके से अतिरिक्त निर्माण कार्य करते है तब वैसी हालात मे जमीन मालिक का हिस्सा उपरोक्त तरीके से निर्धारित किया जाएगा। जबकि इसमें होनेवली प्रत्येक खर्च को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

15. यह कि इमारत में लगनेवाली अन्य सुविधाओं जैसे लिफ्ट, जेनरेटर, ट्रान्सफर्मर, बिजली कनेक्शन (मीटर सहित) इत्यादि खर्च को वहन करने की कोई जिम्मेदारी भूस्वामी की नहीं होगी।

16. नक्शा पास होने के बाद दोनों पक्षों में फ्लैटों की बंटवारा के बाद ही दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से में मिले फ्लैटों की बिक्री करेंगे तथा एक दूसरे से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

17. बिल्डर पटना नगर निगम/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के भवन निर्माण से संबंधित नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उसे जमीन मालिक को क्षति पूर्ति करायेंगे।

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

3/10/16

28/10/16

18. इमारत की योजना में बिल्डर सभी सामान, बिजली, Plumbing and Sanitory कार्यो, जिसमें उपरी टंकी, पानी, व्यवस्था, नल, पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है, वे पटना नगर निगम की स्वीकृति योजना के अनुसार शामिल होगा।
19. द्वितीय पक्ष के किसी भी क्रिया–कलाप से निर्माण स्थल पर हुई गड़बड़ी में प्रथम पक्ष किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।
20. जमीन में यदि किसी प्रकार का टाईटिल से संबंधित विवाद होता है तो उसे दूर करना जमीन मालिक का काम है एवं बिल्डर का भी काम है कि जमीन मालिक को हर सम्भव मदद करेंगे।
21. भवन निर्माण के बाद भू–स्वामीगण को उनके निर्मित **50** प्रतिशत क्षेत्र पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर यथा बिक्री कर सेवा कर, या अन्य कर जो बिहार सरकार या भरत सरकार को देय होगा, उसका भुगतान भू–स्वामीगण करेंगे। बिल्डर को अपने **50** प्रतिशत हिस्से के ही जवाबदेही होगी।

यह कि लेख्य प्लौट से संबंधित जरूरी कार्यो के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत हैं क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चो की पूर्ति हेतु नियमानुकुल प्राधिकृत हैं।

अनुसूची– I

यह आवासीय जमीन जो मौजा– **लखनी बिगहा**, सर्वे थाना दानापुर, अवर निबंध्न कार्यालय, दानापुर, जिला– पटना, अन्दर थाना नं0 41, तौजी नं0 5225, रकवा 77 डीसमल, है। यह लेख्य सम्पति अवर निबंधन कार्यालय दानापुर तथा जिला निबंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :–

खाता नं0	प्लौट नं0	एराजी
149	1379	32 डीसमल

चौहद्दी

उतर :– अरूण पाल वगैरह ।

दक्षिण :– नीज पार्ट प्लौट नं0 1380

पूरब :– महेन्द्र सिहं प्लौट नं0 1389

पश्चिमः– ध्रुव साव वगैरह

खाता नं0	प्लौट नं0	एराजी
73	1381	14 डीसमल

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

चौहद्दी

उतर :– नीज जमीन मालिक ।

दक्षिण :– पार्ट प्लौट नं0 1382

पूरब :– महेन्द्र सिहं प्लौट नं0 1389 एवं प्लौट नं0 1388

पश्चिमः– प्लौट नं0 1375 एवं 1378

खाता नं0	प्लौट नं0	एराजी
149	1375	17 डीसमल

चौहद्दी

उतर :– प्लौट नं0 1376 एवं 1377 एवं 1378

दक्षिण :– नीज पार्ट प्लौट नं0 1374

पूरब :– प्लौट नं0 1381 एवं 1382

पश्चिमः– प्लौट नं0 1364

खाता नं0	प्लौट नं0	एराजी
73	1373	14 डीसमल

चौहद्दी

उतर :– नीज पार्ट प्लौट नं0 1373

दक्षिण :– प्लौट नं0 1372

पूरब :– प्लौट नं0 1383

पश्चिमः– प्लौट नं0 1364 एवं 1365

नोटः– उपर्युक्त सम्पति वर्ष के न्युनतम दर पंजी कोड नं0– पर अंकित है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य मो0 2,00,20,000/– (दो करोड़ बीस हजार रूपया) है।

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

अनुसूची– II

बनने वाले भवन का संक्षिप्त ढ़ाचागण विवरणः–

ढ़ांचा	:–	आर. सी. सी. फ्रेम ढ़ांचा ।
छत	:–	आर. सी. सी. का छत ।
ईटा	:–	प्रथम कोटी का ईटा लगेगा।
फर्श	:–	संगमरमर या फेमस टाइल्स संदर समस्त फर्श क्षेत्र में लगेगा।
परिसज्जन	:–	समस्त अंदर क्षेत्र में प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा और कलर कोड प्लास्टि पेंट होगा एवं बाहर वेदर कोट का होगा।
दरवाजे	:–	सभी दरवाजा 32 mm उच्च होटी का होगा। (चौखट कपूर, साल का पेंट किया हुआ होगा)
खिड़कियाँ	:–	सभी खिड़कियाँ एल्युमिनियम का पिन हैड ग्लास के साथ होगा एवं खिड़कि में 10 mm का स्कवायर रॉड होगा।
शौचालय	:–	मुख्य सयन कक्ष में जुड़ै शौचालय में गर्म पानी का नल, सफेद Glazed टाइल्स 7 फीट की उॅचाई तक सभी शौचालय का साजोसामान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा। किचेन एवं बाथरूम का जमीन संगमरमर का होगा।
रसोई घर	:–	Green Marble का कार्यकारी Platform तथा Steel का सिंक, कार्यकारी platform से 24" उचा रंगीन Glazed टाइल्स रहेगा।
बिजली व्यवस्थाः–		मानक बिजली सामग्री के साथ concealed पी.वी.सी. conduct couper wiring सभी बेडरूम में A.C प्वाइंट। सारा फिटिंक सामग्री (ISI Mark) उच्च कोटी का होगा।
लिफ्ट	:–	चार व्यक्ति का भार वहन करने योग लिफ्ट उच्च कोटी का होगा।
पानी का साधनः–		छत से उपर R.C.C टैंक और जिसका सप्लाई गहरा बोरिंग पम्प से होगा।

अवर निबंधन कार्यालय

अर्जुन सिंह

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

गवाहगण:–

1. राजीव रंजन
पिता - श्री अर्जुन सिंह
ग्राम - लखनी बिगहा
थाना - दानापुर
जिला - पटना

Rajiv kumar 28/6/16

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

2. रवि रंजन
पिता - श्री अर्जुन सिंह
ग्राम - लखनी बिगहा
थाना - दानापुर
जिला - पटना

दस्तावेज जाँचा
28/6/16
हस्ताक्षर

(3) संजीव कुमार
पिता स्व० विभिषण सिंह
ग्राम लखनी बिघा
थाना दानापुर
पो० दानापुर
जिला पटना (बिहार)
28/6/2016

अवर निबंधन कार्यालय

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 400400/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 420800/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	20000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
							TOTAL-		20000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	400
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20400

Registering Officer
Danapur

Date: 28/06/2016

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Tuesday, 28th June 2016 by Arjun Singh Late Satya Narayan Singh by profession Others. Status - Executant

अर्जुन सिंह

28-6-2016

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:28/06/2016**

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Rajeev Ranjan' age '30' Sex 'M', 'Arjun Prasad ', resident of 'Chhokti Dehla Gaya'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Danapur

Date : 28/06/2016

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 163 on pages on 67 -82 , for the year 2016 and stored in CD volume No. CD-25 year 2016 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

अवर निबंधन कार्यालय ★ दानापुर (पटना) ★

Registering Officer
Danapur

Date : 28/06/2016

Token No. : 7997 **Year : 2016** **S.No. : 7708** **SCORE Ver.4.0** **Deed No . : 7572**

6/28/2016

SCANNED

By Checked By

अक्षर में शब्दों में (रू.) मात्र।

पंचम प्रति
(बैंक हेतु)

बिहार सरकार
निबंधन विभाग
गैर न्यायिक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क / निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम पिता/पति का नाम/पता (जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) R.R. Builders & Developers thru Rajesh Kumar
2. दस्तावेज का प्रकार Development Agreement
3. निबंधन कार्यालय अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर
4. बैंक का नाम एवं शाखा S.B.I, Danapur
5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष-103-दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना-उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई-75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड R0030021030001, A/c No.- 10963226587		400400 79
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष-03 पंजीकरण शुल्क लघु शीर्ष-104-दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क- उप शीर्ष-0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड- R0030031040001, A/c No.- 10963226576		20,000 80
भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष-0029-भू राजस्व लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष-0006-अन्य मदे-प्राथमिक इकाई-75 49 भूमि निबंधन शुल्क मे आय विपत्र कोड- R0029008000006, A/c No.- 10963226598		1
	कुल योग	4,20,400 400

भुगतान का माध्यम : नगद/चेक/ड्राफ्ट
कुल राशि शब्दों में ---------- 4,20,800/-

दानापुर
24/6/16

*चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित करें।
*चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तर्गत होने के पश्चात ही मान्य होगी

Rajesh Kumar 24/6/16
जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

FOR USE OF THE BANK

रूपये में ---------- तारीख ---------- उपर्युक्त कालम संख्या- 05
में दिये गए विवरण के अनुसार रू० ---------- / शब्दों में ----------
रुपये प्राप्त किया।

SBI DANAPUR BR.-01225 HARENDRA KUMAR SINGH ID No.-50035656

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन हेतु सर्विस चार्ज * जमा करने का विवरण

जमा राशि निबंधन No.- 309784486198

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)